

**पेंशन के आवेदन प्रपत्र - 1**

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरे) कृपया जहाँ लागू हो (✓) का निशान लगाएँ

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन  
 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन  
 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन

- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना  
 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन  
 बिहार निःशक्तता पेंशन

फोटो

1. आवेदक / आवेदिका का नाम .....
2. आवेदक के पिता  / पति  का नाम .....
3. लिंग - पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर .....
4. पुरा पता-ग्राम / मुहल्ला ..... पंचायत / नगर वार्ड .....
- प्रखण्ड / नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत ..... थाना .....
- प्रखण्ड ..... अनुमण्डल ..... जिला .....
- डाकघर ..... पिनकोड .....
5. कोटे :- अनु० जाति  / जनजाति  / पिछड़ी जाति  / अति पिछड़ी जाति  / अल्पसंख्यक  / सामान्य
6. आधार संख्या ..... निर्वाचन परिचय पत्र संख्या .....
7. एस० ई० सी० संख्या / राशन कार्ड संख्या .....
10. सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं० ..... ई-मेल .....
11. आवेदक का पहचान चिन्ह .....
12. बैंक का विवरण :-  
 (क) आई०एफ०एस० [IFSC] कोड ..... (ख) शाखा कोड .....
- (ग) शाखा का नाम ..... (घ) बैंक खाता संख्या .....
12. पेंशन अर्हता संबंधी सूचना :-  
 (क) आयु ..... (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष .....
- (ग) आयु :- 1. बी० पी० एल० का क्रमांक ..... प्राप्तांक .....
2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्ता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं):-  
 (घ) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत :-  
 13. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि :-  
 (i) मेरे परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है। (ii) मैं वृद्ध / विधवा / विकलांग हूँ।  
 (iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।  
 (iv) मैं (नाम) ..... जिला ..... बिहार राज्य  
 का / की निवासी / अधिवासी हूँ।  
 मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी सही है यदि कोई ब्योरा गलत / झुठा पाया जाए तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

स्थान -  
तिथि -

आवेदक के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

(2)

**पंचायत सचिव / पंचायत स्तरीय सक्षम सरकारी कर्मों / विकास मित्र की अनुशंसा**

1. आय / बी०पी०एल० - बी०पी०एल० क्रमांक / आय प्रमाण-पत्र / लागू नहीं।
2. आयु प्रमाण-पत्र - विद्यालय प्रमाण-पत्र / निर्वाचन परिचय पत्र / अन्य सरकारी अभिलेख / लागू नहीं।
3. विकलांगता - 40 प्रतिशत / 80 प्रतिशत / लागू नहीं।
4. आवासीय प्रमाण-पत्र - 3 वर्ष / 10 वर्ष / लागू नहीं।  
( जो लागू हो उसे ✓ से चिन्हित करें।)

नाम .....

(हस्ताक्षर तिथि सहित)

पदनाम .....

**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा**

मैंने आवेदन में अंकित विवरण की जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। ..... कारण से पेंशन की अनुशंसा नहीं की जाती है। आवेदन की प्रविष्टि ऑनलाईन साफ्टवेयर में नहीं की गयी है / कर दी गई है तथा इसका संदर्भ संख्या ..... दिनांक ..... है।

**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर (मोहर के साथ)****स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश :-**

श्री / श्रीमति ..... को  
दिनांक ..... से ..... पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

**अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर (मोहर के साथ)**

अर्हताएँ :-

क्रम	योजना	आय	आयु	विकलांगता	निवासी / अधिवासी
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	लागू नहीं	60 वर्ष या उससे अधिक	.....	10 वर्ष
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्ष पेंशन	अधिकतम रु० 60,000 /- वार्षिक	18 वर्ष से अधिक	.....	10 वर्ष
3	विहार निःशक्तता पेंशन	आय सीमा नहीं	उम्र सीमा नहीं	40 % से अन्यून	10 वर्ष
4	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	बी० पी० एल०	60 वर्ष या उससे अधिक	.....	3 वर्ष
5	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय	बी० पी० एल०	40-79 आयु वर्ग	.....	3 वर्ष
6	विधवा पेंशन इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	बी० पी० एल०	18-79 आयु वर्ग	80 % से अन्यून	3 वर्ष

नोट:- आयु प्रमाण-पत्र के रूप में विद्यालय का प्रमाण-पत्र / निर्वाचन परिचय पत्र या अन्य सरकारी अभिलेख जिसमें उम्र / जन्मतिथि दर्ज हो, मान्य होगा। इनके अनुपलब्ध रहने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी का उम्र के संबंध में भौतिक परामर्श मान्य होगा।

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरे) कृपया जहाँ लागू हो (✓) का निशान लगाएँ


इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन


मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना  
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन  
बिहार निःशक्तता पेंशन

फोटो
------

1. आवेदक / आवेदिका का नाम .....

2. आवेदक के पिता  / पति  का नाम .....

3. लिंग - पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर .....

4. पुरा पता-ग्राम / मुहल्ला ..... पंचायत / नगर वार्ड .....

प्रग्रण्ड / नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत .....

थाना .....

प्रग्रण्ड ..... अनुमण्डल .....

जिला .....

डाकघर ..... पिनकोड .....

5. कोटि - अनु० जाति  / जनजाति  / पिछड़ी जाति  / अति पिछड़ी जाति  / अल्पसंख्यक  / सामान्य 

6. आधार संख्या ..... निर्वाचन परिचय पत्र संख्या .....

7. एस० ई० सी० संख्या / राशन कार्ड संख्या .....

10. सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं० ..... ई-मेल .....

11. आवेदक का पहचान चिन्ह .....

12. बैंक का विवरण :-

(क) आई०एफ०एस० [IFSC] कोड ..... (ख) शाखा कोड .....

(ग) शाखा का नाम ..... (घ) बैंक खाता संख्या .....

12' पेंशन अर्हता संबंधी सूचना :-

(क) आयु ..... (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष .....

(ग) आय :- 1. बी० पी० एल० का क्रमांक ..... प्राप्तांक .....

2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं) :-

(घ) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत :-

13. निष्ठापूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि :-

(i) मेरे परिवार यथा उल्लिखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है। (ii) मैं वृद्ध / विधवा / विकलांग हूँ।

(iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।

(iv) मैं (नाम) ..... जिला ..... बिहार राज्य

का / की निवासी / अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी सही है यदि कोई ब्योरा गलत / झुठा पाया जाए तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

स्थान :-  
तिथि :-

आवेदक के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

(2)

**पंचायत सचिव / पंचायत स्तरीय सक्षम सरकारी कर्मी / विकास मित्र की अनुशंसा**

1. आय / बी०पी०एल० - बी०पी०एल० क्रमांक / आय प्रमाण-पत्र / लागू नहीं।
2. आयु प्रमाण-पत्र - विद्यालय प्रमाण-पत्र / निर्वाचन परिचय पत्र / अन्य सरकारी अभिलेख / लागू नहीं।
3. विकलांगता - 40 प्रतिशत / 80 प्रतिशत / लागू नहीं।
4. आवासीय प्रमाण-पत्र - 3 वर्ष / 10 वर्ष / लागू नहीं।  
( जो लागू हो उसे ✓ से चिन्हित करें।)

नाम .....

(हस्ताक्षर तिथि सहित)

पदनाम .....

**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा**

मैंने आवेदन में अंकित विवरण की जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। ..... कारण से पेंशन की अनुशंसा नहीं की जाती है। आवेदन की प्रविष्टि ऑनलाईन साफ्टवेयर में नहीं की गयी है / कर दी गई है तथा इसका संदर्भ संख्या ..... दिनांक ..... है।

**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर (मोहर के साथ)****स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश :-**

श्री / श्रीमति ..... को  
दिनांक ..... से ..... पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

**अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर (मोहर के साथ)**

अर्हताएँ :-

क्रम	योजना	आय	आयु	विकलांगता	निवासी / अधिवासी
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	लागू नहीं	60वर्ष या उससे अधिक	.....	10 वर्ष
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्ष पेंशन	अधिकतम रु० 60,000 /- वार्षिक	18 वर्ष से अधिक	.....	10 वर्ष
3	बिहार निःशक्तता पेंशन	आय सीमा नहीं	उम्र सीमा नहीं	40 % से अन्यून	10 वर्ष
4	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	बी० पी० एल०	60वर्ष या उससे अधिक	.....	3 वर्ष
5	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	बी० पी० एल०	40-79 आयु वर्ग	.....	3 वर्ष
6	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	बी० पी० एल०	18-79 आयु वर्ग	80 % से अन्यून	3 वर्ष

नोट - आयु प्रमाण-पत्र के रूप में विद्यालय का प्रमाण-पत्र / निर्वाचन परिचय पत्र या अन्य सरकारी अभिलेख जिसमें उम्र / जन्मतिथि दर्शाया गया हो, मान्य होगा। इनके अनुपलब्ध रहने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी का उम्र के संबंध में भौतिक जांच आवश्यक होगी।